पत्र सं०–6 एस०एस०(6) 08/2017–2805/

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

मधुरानी ठाकुर
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–29/8 /2017.

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– *आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल ₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य योजना के तहत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशुस्वास्थ्य के अंतर्गत पितृपक्ष मेला को देखते हुये गया शहर की सड़कों पर यत्र–तत्र घुमने/रहने वाले आवारा पशुओं के चारा/आवासन/परिवहन पर होने वाले व्यय को वहन करने की योजना की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल ₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य योजना के तहत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशुस्वास्थ्य के अंतर्गत पितृपक्ष मेला को देखते हुये गया शहर की सड़कों पर यत्र–तत्र घुमने/रहने वाली आवारा पशुओं के चारा/आवासन/ परिवहन पर होने वाले व्यय को वहन करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य पितृपक्ष मेलना को देखते हुये गया शहर की सड़कों पर यत्र–तत्र घुमने/रहने वाली आवारा पशुओं को पकड़ कर उसके रख–रखाव यानि चारा/आवासन/परिवहन पर होने वाले व्यय भार को वहन करना है ताकि गया शहर को स्वच्छ रखा जा सके। इसके लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया को पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य के अंतर्गत विषय शीर्ष–0101.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में राशि आवंटित किये जायेंगे। जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया इस प्राप्त होने वाले राशि से पकड़े गये पशुओं के चारे/आवासन/परिवहन एवं उसके रख–रखाव पर व्यय करेंगे।

3. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017–18 में होने वाले व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष–00 –लघु शीर्ष–101 –पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु–स्वास्थ्य माँग सं०–02 उप शीर्ष–0101 –अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड–02-2403001010101 के तहत विषय शीर्ष–0101.21.01 –सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया होंगे। निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

5. निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना का यह दायित्व होगा कि पितृपक्ष मेंला को देखते हुये गया शहरी क्षेत्र के सड़कों पर यत्र–तत्र घुमते/रहने वाली पशुओं को गया में रखने पर उसके रख–रखाव, चारा दाना/आवासन/परिवहन होने वाले व्यय को वहन करने हेतु जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया को राशि का आवंटन उपलब्ध कराते हुये यह निदेश जारी करेंगे कि इस कार्य में कोई लापरवाही नहीं वरती जाय।

6. जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया का यह दायित्व होगा की अपने जिला अन्तर्गत संबंधित जिला पदाधिकारी के मार्गदर्शन में इस योजना के तहत लक्षित कार्यों का सम्पादन करेंगे।

7. चूँकि यह नई योजना है। योजना का लागत मूल्य रुपये 5.00 (पाँच) करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3758, दिनांक–31.05.2017 में प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में योजना लागत मूल्य के अनुसार प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस० (6) 08/2017 के पृष्ठ संख्या–09/टि०।

8. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6) 08/2017 के पृष्ठ–09/टि० एवं डायरी संख्या–शून्य, दिनांक–29.08.2017

9. वित्त विभागीय पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(मधुरानी ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 08/2017–2805/पटना–15, दिनांक– 29/8/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/ बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 08/2017–2805/पटना–15, दिनांक– 29/8/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 08/2017–2805/पटना–15, दिनांक– 29/8/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 08/2017–2805/पटना–15, दिनांक– 29/8/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा/ योजना शाखा–10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 08/2017–2805/पटना–15, दिनांक– 29/8/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक अतिरिक्त 05 प्रतियाँ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 08/2017–2805/पटना–15, दिनांक– 29/8/2017.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना के तहत पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशुस्वास्थ्य अंतर्गत पितृपक्ष मेला को देखते हुये गया शहर की सड़को पर यत्र–तत्र घुमने/रहने वाले आवारा पशुओं को पकड़कर उसके रखने पर उनके रख–रखाव, चारा/आवासन/परिवहन पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :–

क्र०	मद् का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	कोषागार का नाम
1	0101.21.01सामग्री एवं पूर्तियाँ	10.00	जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया।	जिला कोषागार, गया।
	योगः–	**10.00**		

(रुपये दस लाख) मात्र ।

2805
27/8/17

सरकार के अपर सचिव।